संख्या- 203 / 2016/ 2752 /चार-2016-5(वि0)/2014

प्रेषक,

जगदीश प्रसाद
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0 ,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ :: दिनांक 22 दिसम्बर ,2016

विषय:-जनपद इटावा के सैफई में संगीत महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इटावा के सैफई में बी0एस0एन0एल0 चौराहे के पास स्थित अमिताभ बच्चन इण्टर कालेज के आवासो की भूमि को संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु उपलब्ध कराये जाने के संबंध में 5000 वर्गमीटर भूमि संस्कृति विभाग को नि:शुल्क हस्तानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में गृह विभाग द्वारा दी गयी अनापत्ति के दृष्टिगत मा0 मंत्रिपरिषद की दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को सम्पन्न हुई बैठक में प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा चुका है। अत: जनपद इटावा के सैफई में संगीत महाविद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निर्माण कार्यो के लिए उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- उक्त के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद इटावा के सैफई में संगीत महाविद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपये पॉच करोड मात्र) के सापेक्ष प्रथम चरण में रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति आपके निर्वतन पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग तभी किया जायेगा जब कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन का परीक्षण प्रायोजना एवं रचना मूल्यांकन प्रभाग से करा लिया जायेगा तथा धनराशि के उपयोग की अनुमति शासन द्वारा प्रदान की जायेगी।

(2) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निमार्ण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था तथा निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोक अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

2 - उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016 -17 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-92- के अन्तर्गत आयोजनागत मद के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800- अन्य व्यय-06-भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय के नये परिसर हेतु भूमि व्यवस्था एवं निर्माण-24- वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3 - वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जगदीश प्रसाद)
विशेष सचिव।

संख्या -203/ 2016 /2752 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 , लखनऊ ।
3 - वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
6 - निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।
7 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/